अध्याय-6

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अध्याय 6: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड

6.1 बोली दस्तावेज में उपयुक्त खंड सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप परीक्षण शुल्क का परिहार्य भुगतान

बोली दस्तावेज में उपयुक्त खंड सम्मिलित करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10 करोड़ के परीक्षण शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता एवं डिजाइन को मान्य करने के लिए शार्ट सर्किट सहनशक्ति परीक्षण[1] किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी (अगस्त 2010) विनियमों[2] के अनुसार हर प्रकार एवं रेटिंग[3] के विद्युत ट्रांसफार्मर का शार्ट सर्किट सहनशक्ति परीक्षण आयोजित करना[4] अपेक्षित था। सितंबर 2014 में भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विनियमों के अंतर्गत परीक्षण की आवश्यकता को दोहराया गया था।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने नवंबर 2020 के दौरान गुम्मा में एक सब-स्टेशन[5] को प्रारंभ किया। अक्टूबर 2011 के दौरान इस सब-स्टेशन (चार 105 मेगा वोल्ट एम्पेअर, सिंगल फेज, 400/220 किलो वोल्ट विद्युत ट्रांसफार्मर सहित) के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं। अनुबंध की शर्तों[6] के अनुसार प्रस्तावित/उच्च डिजाइन व रेटिंग ट्रांसफार्मर पर शार्ट सर्किट परीक्षण यदि पहले से ही किया गया हो तो बोलीदाता को इसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था। ट्रांसफार्मर का शार्ट सर्किट परीक्षण पहले से नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता को इसकी आपूर्ति करने से पहले मालिकों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नि:शुल्क शार्ट सर्किट परीक्षण करना था। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 315 एमवीए, 400 केवी तीन फेज स्वचालित ट्रांसफार्मर के शार्ट सर्किट परीक्षण के प्रमाणपत्र के आधार पर ठेका दिया गया (25 अक्टूबर 2013)।

---

1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएस: 2026 (भाग I) -1977 में निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत 5 सेकंड के लिए बाहरी शार्ट सर्किट से उष्णता और गतिशील प्रभावों को नुकसान पहुंचाए बिना कार्य करने के लिए ट्रांसफार्मर को डिजाईन व निर्मित किया गया है।

2 विनियम 2010 (विद्युत संयंत्रों व विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) के उप-विनियम 10(3) (जी), 37(4) (के) व 43(2) (vi)

3 सिंगल फेज/थ्री फेज/ ऑटो ट्रांसफार्मर/ स्टेप-डाउन/स्टे प-अप (टाइप) व ट्रांसफार्मर की क्षमता (रेटिंग)।

4 जब तक कि पिछले पांच वर्षों के भीतर समान डिजाइन एवं रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर पर ऐसा परीक्षण नहीं किया गया हो।

5 400/220 केवी गैस रोधी स्विचगियर (जीआईएस) सब-स्टेशन।

6 तकनीकी विनिर्देशों की धारा-4 के खंड 4.52 (ए)

लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसंबर 2020) से उजागर हुआ कि ठेकेदार द्वारा मुख्य विद्युत प्राधिकरण के उपर्युक्त विनियमों के अनुसार शार्ट सर्किट सहनशक्ति परीक्षण करना या प्रत्येक प्रकार एवं रेटिंग के विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था। हालांकि बोली की शर्त (4.52 ए) ने बोलीदाताओं को विद्युत ट्रांसफार्मर की उच्च रेटिंग की परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जिसे चयनित बोलीदाता ने बोली के साथ प्रदान किया था। इस बीच 2010 के विनियम को दोहराते हुए मुख्य विद्युत प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश सरकार को सभी उपक्रमों को सलाह देने के लिए कहा (सितंबर 2014) कि निर्माताओं द्वारा आपूरित ट्रांसफार्मर का विनियमों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए शार्ट सर्किट परीक्षण किया जाएं। कंपनी ने तब निर्णय लिया (अक्टूबर 2014) कि आपूर्तिकर्ता एक 105 एमवीए, सिंगल फेज, 400/220 केवी ट्रांसफार्मर पर शार्टसर्किट परीक्षण आयोजित करेगा, जिसका ₹ 10 करोड़[7] का वित्तीय भार कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। परीक्षण मई 2016 के दौरान किया गया जिसके लिए कंपनी ने अक्टूबर 2016 व दिसंबर 2019 के दौरान भुगतान किया।

विनियम अगस्त 2010 में जारी किए गए थे अतः कंपनी को अक्टूबर 2011 के दौरान बोलियां आमंत्रित करते समय बोलीदाताओं को आपूरित की जाने वाली डिजाइन व रेटिंग अर्थात 105 एमवीए, सिंगल फेज़ 400/220 केवी ट्रांसफार्मर के लिए शार्टसर्किट सहनशक्ति परीक्षण के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अनुमति देने का उपयुक्त शर्त सम्मिलित करना चाहिए था। यदि यह सुनिश्चित किया जाता तो ₹ 10 करोड़ के परीक्षण शुल्क के भुगतान से बचा जा सकता था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी ने 132 केवी जीआईएस चंबी के लिए बोलियां आमंत्रित करते समय (जुलाई 2014) उपयुक्त शर्त डाला था।

शार्टसर्किट परीक्षण के मुद्दे पर ठेकेदार ने स्पष्ट किया (मई 2014) कि यदि कंपनी परीक्षण कराना चाहती है तो वह प्रभार्य आधार पर अर्थात ₹ 10 करोड़ में किया जा सकता है। कंपनी ने 18 अक्टूबर 2014 को ठेकेदार के साथ बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शार्टसर्किट परीक्षण के प्रभार के बदले ठेकेदार ट्रांसफार्मर की वारंटी 540 दिन से बढ़ाकर 1080 दिन कर देगा। तथापि वारंटी अवधि के विस्तार से शार्टसर्किट परीक्षण के शुल्क का समायोजन नहीं किया जा सका क्योंकि इसे ट्रांसफार्मर की लागत का दो प्रतिशत प्रतिवर्ष का भुगतान करके बढ़ाया जा सकता था, जैसा कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (पावर) निगम लिमिटेड द्वारा सैंज जल विद्युत परियोजना के मामले में किया गया था जो इस मामले में ₹ 54.40 लाख होता है। इस प्रकार यदि कंपनी ने बोली में उपयुक्त खंड डाला होता तथा यदि वारंटी का विस्तार भी किया होता, तो इससे ₹ 9.46 करोड़[8] बचाए जा सकते थे।

---

[7] बोली लगाने के चरण पर ठेकेदार द्वारा उद्धृत परीक्षण के लिए दर जो बोली राशि का हिस्सा नहीं थी।

[8] ₹ 10 करोड़ घटा ₹ 54.40 लाख।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि सितंबर 2014 के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी शार्टसर्किट परीक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए परीक्षण आवश्यक था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अगस्त 2010 में जारी विनियमों के अनुसार प्रत्येक प्रकार के ट्रांसफार्मर का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाना था अतएव वह बोली आमंत्रण से पहले प्रयोज्य था। कंपनी ने 132 केवी जीआईएस चंबी के मामले में भी एक उपयुक्त खंड डाला था। इस प्रकार, कंपनी को परीक्षण शुल्क के भुगतान से बचने के लिए उच्च डिजाइन व रेटिंग के परीक्षण प्रमाणपत्र को स्वीकार करने की अपेक्षा विशिष्ट डिजाइन व रेटिंग के ट्रांसफार्मर की परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में उपयुक्त खंड सम्मिलित करना चाहिए था।

सिफारिश: कंपनी परिहार्य भुगतानों से बचाव हेतु कार्य सौंपने से पहले प्रासंगिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड

6.2 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबंधित ठेकों की लेखापरीक्षा

कंपनी ने सौर संयंत्रों से संबंधित ठेके सौंपे (2018-19) जिसकी दरें हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों से ₹ 5.14 करोड़ अधिक थीं। उसने अनुचित आधार पर समय विस्तार को अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.60 लाख राशि की परिसमापन क्षति का उदग्रहण नहीं हुआ। ठेकेदारों को सौर संयंत्रों पर पांच प्रतिशत की प्रयोज्य दर के स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान किया गया (जनवरी 2019 से दिसंबर 2019) जो ₹ 21.03 लाख के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 दिसंबर 2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना का शुभारम्भ किया। इस एकीकृत विद्युत विकास योजना के मुख्य उद्देश्य थे:

- शहरी क्षेत्रों में सौर पैनल के प्रावधान सहित उप-संचार एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण;
- शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; तथा
- वितरण प्रभाग को आईटी सक्षम बनाना एवं वितरण नेटवर्क मजबूत बनाना।

इस योजना के पांच भागों में से प्रणाली सुदृढ़ीकरण एक प्रमुख भाग था। प्रणाली सुदृढ़ीकरण के तहत ऊर्जा वित्त निगम ने 12 सर्कलों में ₹ 111.15 करोड़ राशि की बारह परियोजनाएं स्वीकृत (21 मार्च 2016) की, जिसके प्रति कंपनी ने सर्कल-वार ठेके/पैकेज सौंपे। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्णता समयावधि 20 सितंबर 2018 निर्धारित थी।

31 मार्च 2022 तक एकीकृत विद्युत विकास योजना में ऋण व स्व-अंश सहित प्राप्त अनुदान एवं वास्तविक व्यय के विवरण नीचे **तालिका-6.2.1** में दिए गए हैं:

तालिका-6.2.1: निधियों की प्राप्ति व व्यय

(₹ करोड़ में)

स्वीकृत अनुदान	प्राप्त अनुदान	व्यय			कुल व्यय
		प्रयुक्त अनुदान	कंपनी का अंश	ऋण राशि	
94.49	94.13	94.13	5.60	10.79	110.52

सितंबर 2021 के दौरान प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु ठेकों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

1. उच्च दरों पर कार्य अनुबंध करना-

विनियमों[9] के अनुसार सौर संयंत्रों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (हिम ऊर्जा) राज्य की नोडल एजेंसी थी। हिम ऊर्जा विक्रेताओं को सूचीबद्ध करती है एवं एक किलोवाट से 500 किलोवाट तक के विद्युत् उत्पादन की क्षमता की नेट मीटरिंग के साथ सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए दरें तय करती है। 12 परियोजनाओं में से नौ में प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु सौंपे गए पैकेज में सौर ऊर्जा संयंत्र एक मद के रूप में (जो किसी अन्य घटक पर निर्भर नहीं था) शामिल था। एक स्वतंत्र मद होने के नाते सौर संयंत्रों के लिए ठेका अलग से दिया जा सकता था जैसा कि अन्य तीन (कांगड़ा, ऊना व डलहौजी) सर्कलों में किया गया था।

नौ सर्कलों में प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु समेकित ठेके के तहत सौर संयंत्रों हेतु प्रदत्त दरें हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों की तुलना में असामान्य रूप से अधिक थीं। जबकि शेष तीन सर्कलों[10] में सौर संयंत्रों को कंपनी द्वारा हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों पर अलग से प्रदान किया गया, वहीं शेष कार्यों को तैयार (टर्नकी) आधार पर सौंपा गया था। सौर संयंत्रों हेतु हिम ऊर्जा द्वारा निर्धारित दरों को जानते हुए कंपनी सभी बारह सर्कलों में हिम ऊर्जा द्वारा निर्धारित दरों पर सौर संयंत्रों के लिए अलग-अलग कार्य आदेश जारी कर सकती थी जैसा कि उक्त तीन सर्कलों के मामले में किया गया था। अगर कंपनी ने हिम ऊर्जा की दरों पर सौर संयंत्रों का कार्य अलग से दिया होता, तो वह ₹ 5.14 करोड़ बचा सकती थी। अधिक व्यय का विवरण **तालिका-6.2.2** में दिया गया है:

---

9 दिनांक 31 जुलाई 2015 को अधिसूचित हिमाचल प्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग (रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरेक्टिव सिस्टम नेट मीटरिंग पर आधारित) विनियम, 2015

10 काँगड़ा, ऊना एवं डलहौज़ी।

तालिका-6.2.2: अतिरिक्त भुगतान के विवरण

(राशि ₹ में)

फर्म का नाम	सर्कल का नाम	हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरें (प्रति किलोवाट)	कार्य अनुबंध पत्र के अनुसार दर (प्रति किलोवाट)	अतिरिक्त दर (प्रति किलोवाट)	कार्य अनुबंध पत्र के अनुसार मात्रा (किलोवाट में)	अतिरिक्त व्यय
मेसर्स श्याम इंडस पावर सॉल्यूशंस	शिमला	47,000	1,29,388	82,388	98	80,74,024
मेसर्स श्याम इंडस पावर सॉल्यूशंस	रोहडू	47,000	1,27,138	80,138	64.4	51,60,887
मेसर्स रुतु इंटरप्राइजेज	सोलन	42,000	88,438	46,438	443	2,05,72,034
मैसर्स यूटीआरआई	रामपुर	49,700	79,198	29,498	21.2	6,25,358
मेसर्स पीके इंटरप्राइजेज	मंडी	49,700	1,43,217	93,517	34	31,79,578
मेसर्स पीके इंटरप्राइजेज	कुल्लू	49,700	1,31,987	82,287	42	34,56,054
मेसर्स रतन लाइट हाउस	बिलासपुर	47,000	1,33,011	86,011	60.2	51,77,862
मेसर्स देवराय इंजीनियरिंग	हमीरपुर	47,000	1,01,135	54,135	73.4	39,73,509
मेसर्स चौधरी एसोसिएट्स	नाहन	49,700	96,500	46,800	24.3	11,37,240
योग						**5,13,56,546**

कंपनी ने नौ सर्कलों में हिम ऊर्जा की अनुमोदित दरों की तुलना में 117 प्रतिशत से 217 प्रतिशत अधिक दरों पर सौर संयंत्रों से संबंधित ठेका प्रदान किया (2018-19)। यह भी देखा गया कि तीन (कांगड़ा, ऊना व डलहौजी) सर्कलों में कंपनी ने सूची में शामिल विक्रेताओं को हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों पर सौर पैनल का कार्य प्रदान किया (2018-19 के दौरान)।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि निविदाएं टर्नकी आधार पर आमंत्रित की गई थीं एवं प्रस्ताव समग्र मूल्य के आधार पर स्वीकार किए गए थे न कि स्वतंत्र मदों के आधार पर।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं के सौर पैनल की दर प्रबंधन के जानकारी में थी एवं कंपनी सौर संयंत्रों हेतु अलग ठेके देकर ₹ 5.14 करोड़ बचा सकती थी जैसा कि कांगड़ा, ऊना व डलहौजी सर्कलों के लिए किया गया।

2. ठेकेदार को अनुचित लाभ-

मई 2018 में कुल्लू सर्कल में प्रणाली सुदृढ़ीकरण का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया। ठेके की विशेष शर्तों के खंड 26 के अनुसार ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के लिए प्रति सप्ताह आधा प्रतिशत की दर से ठेका मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिसमापन क्षति का भुगतान करेगा।

कार्य 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि ठेकेदार द्वारा कार्य की गति शुरू से ही बहुत धीमी थी एवं कार्यालय अधीक्षण अभियंता (परिचालन) सर्कल, कुल्लू एवं वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता (विद्युत मण्डल), मनाली ने नियमित रूप से सूचित किया कि ठेकेदार के कारण कार्य विलंबित हो रहा है। तथापि बाद में क्षेत्रीय कार्यालय की अनुशंसा पर मुख्य अभियंता (परिचालन) ने कंपनी द्वारा सामग्री[11] की विलंबित आपूर्ति की दलील देते हुए परिसमापन क्षति लगाए बिना 30.09.2020 तक समय विस्तार स्वीकृत (मार्च 2021) किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.60 लाख की परिसमापन क्षति का उदग्रहण नहीं हुआ। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे यह पता चलता हो कि क्षेत्रीय कार्यालयों ने सामग्री की मांग/ सामग्री मांगपत्र स्टोर को भेजा था एवं बाद में स्टोर द्वारा सामग्री की अनुपलब्धता से सम्बंधित अस्वीकरण किया था। इसके अतिरिक्त भण्डार की संवीक्षा से पता चला कि कंपनी द्वारा आपूरित की जाने वाली सामग्री उस अवधि के दौरान कंपनी के स्टोर में उपलब्ध थी।

ठेकेदार ने योजना के कई घटकों को स्वीकृत विस्तार अर्थात 30.09.2020 तक पूर्ण नहीं किया। यह इस तथ्य से प्रमाणित था कि ठेकेदार ने फरवरी 2021 में परिनिर्माण बिल जमा किया था। इस प्रकार, बिना किसी परिसमापन क्षति की वसूली के स्वीकृत समय विस्तार ठेकेदार को अनुचित लाभ में परिणित हुआ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अप्रैल 2022*)* में बताया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत् बोर्ड लिमिटेड द्वारा आपूरित की जाने वाली सामग्री की विलम्बित उपलब्धता एवं कोविड 19 के कारण देशव्यापी बंद के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह देखा गया था कि कंपनी के अधिकारियों ने ठेकेदार को विभिन्न पत्र/नोटिस लिखे थे कि कार्य विलंबित हो रहा था। इसके अतिरिक्त निर्धारित समापन अवधि (मार्च 2019*)* तक सामग्री की अनुपलब्धता के कारण ठेकेदार की किसी भी मांग को अस्वीकार नहीं किया गया था। जहां तक कोविड 19 के कारण देश व्यापी बंद का संबंध है*,* यह कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हेतु मान्य नहीं है क्योंकि 25 मार्च 2020 को अर्थात कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के एक वर्ष पश्चात देश व्यापी बंद किया गया था।

[11] स्टील ट्यूबलर पोल, एलटी एबी केबल, विद्युत मीटर आदि।

3. वस्तु व सेवा कर का अधिक भुगतान-

मार्च व अप्रैल 2018 के दौरान शिमला एवं रोहड़ू सर्कलों हेतु 162 किलोवाट[12] क्षमता की नेट मीटरिंग के साथ सौर पैनल की आपूर्ति और निर्माण का कार्य सौंपा गया था। एलओए में निर्दिष्ट[13] किया गया था कि बोली मूल्य में वस्तु व सेवाकर एवं अन्य कर (यदि कोई हो) शामिल हैं तथा केवल[14] दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर ही वास्तविक रूप से देय होंगे। जून 2017 में सौर ऊर्जा संयंत्रों पर वस्तु एवं सेवाकर घटा दिया गया था (पांच प्रतिशत तक)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी द्वारा जनवरी 2019 व दिसंबर 2019 के मध्य की गई आपूर्ति हेतु बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवाकर लगाते हुए भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.03 लाख की वस्तु एवं सेवाकर राशि का अतिरिक्त/अधिक भुगतान हुआ जैसाकि **तालिका-6.2.3** में वर्णित है।

तालिका-6.2.3: वस्तु व सेवा कर के अधिक भुगतान का विवरण

(₹ राशि में)

विवरण	सर्कल कार्यालय	मात्रा (किलोवाट)	पूर्व-कार्य दर प्रति किलोवाट	18% की दर से भुगतान की गई वस्तु व सेवा कर दरें	5% की दर पर वस्तु व सेवा कर देय	अधिक भुगतान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (5-6 x 3)**
नेट मीटरिंग के साथ सोलर पैनल	रोहड़ू	64.4	98,547	17,738	4,927	8,25,028
	शिमला	98	1,00,291	18,052	5,015	12,77,626
योग						**21,02,654**

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (अप्रैल 2022) कि ठेकेदारों को जो भी अधिक भुगतान किया गया था उसकी वसूली फर्म से की जा रही है। यद्यपि अभी तक (अगस्त 2022) वसूली नहीं हो पाई है।

इस प्रकार ठेके की लेखापरीक्षा ने दिखाया कि कंपनी सौर पैनल हेतु अलग से ठेका देकर मितव्ययिता सुनिश्चित नहीं कर सकी जिससे ₹ 5.14 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसी

---

12 शिमला 98 केडब्ल्यू+ रोहड़ू 64.4 केडब्ल्यू।

13 सशर्त संख्या 8

14 धारा 13 का खंड II

भांति यह बकाया परिसमापन क्षति की वसूली न करके एवं अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर जारी करके अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही।

सिफारिश: कंपनी ठेकों का कार्यान्वयन मितव्यय तरीके से सुनिश्चित करें।

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड

6.3 अनुबंध मांग एवं मानक वोल्टेज आपूर्ति में संशोधन न करने के कारण परिहार्य व्यय

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की तीन उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं में वास्तविक अधिकतम दर्ज मांग के अनुसार अनुबंध मांग को संशोधित करने में विफलता के कारण ₹ 5.67 करोड़ के मांग शुल्क का परिहार्य व्यय/ देयता हुई। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा गलत तरीके से लगाए गए ₹ 0.23 करोड़ के संविदा मांग उल्लंघन प्रभार का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मानक आपूर्ति वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति का लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के कारण ₹ 5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश सरकार व नगर निगम, शिमला की संयुक्त रूप से प्रवर्तित कंपनी के रूप में निगमित (जून 2018) शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड बृहत्तर (ग्रेटर) शिमला क्षेत्र में पानी एवं सीवरेज सेवाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह गुम्मा, गिरी व अश्विनी खड्ड में अपने तीन उप-मंडलों के माध्यम से उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं का संचालन करती है। इन उठाऊ जलापूर्ति योजना में स्थापित अपकेंद्री पंपों को संचालित करके पानी उठाया जाता है। इन पंपों पर 2018-19 (₹ 99.64 करोड़) एवं 2019 20 (₹ 103.45 करोड़) के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भुगतान किए गए ऊर्जा शुल्क हेतु ₹ 203.09 करोड़ का व्यय किया गया था, जो शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के कुल संचालन व रखरखाव लागत का 70 प्रतिशत (लगभग) है।

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड पर लागू राज्य वित्तीय नियमों में यह परिकल्पना की गई है कि सार्वजनिक धन से व्यय करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। प्रत्येक अधिकारी कड़ी मितव्ययिता को भी लागू करेगा तथा यह देखेगा कि सभी प्रासंगिक नियमों व विनियमों का पालन किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रशुल्क की सामान्य शर्तें निर्धारित करती हैं कि:

(क) जिन उपभोक्ताओं की ऊर्जा खपत ₹/ किलो वोल्ट एम्पिअर प्रति घंटा (केवीएएच) में बिल की जाती है, उनसे किलो वोल्ट एम्पिअर प्रति घंटा प्रभारों के अतिरिक्त, गणना की गई

दरों[15] पर किसी भी लगातार 30 मिनट की कालखंड अवधि के दौरान माह या अनुबंध मांग[16] (किलो वोल्ट एम्पिअर में) के 90 प्रतिशत पर ऊर्जा मीटर पर वास्तविक अधिकतम (किलो वोल्ट एम्पिअर केवीए में) दर्ज की गई मांग पर 'मांग शुल्क' लिया जाएगा, जो भी अधिक हो परन्तु वर्तमान में लागू अनुबंध मांग की उच्चतम सीमा तक यदि, ऊर्जा मीटर पर दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग अनुबंध की मांग से अधिक है, उपभोक्ता से मांग शुल्क के तीन गुना की दर से "अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क" लगाया जाएगा, जिस सीमा तक उल्लंघन अनुबंध मांग से अधिक हुआ।

(ख) 'मानक आपूर्ति वोल्टेज'[17] से कम वोल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं से अन्य शुल्कों के अतिरिक्त दो, तीन व पांच प्रतिशत की दर से कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार भी लगाया जाएगा, जैसाकि नीचे दिए गए उप-परिच्छेद (iv) के तहत **तालिका-6.3.3** में दिए गए विवरण के अनुसार 'मानक आपूर्ति वोल्टेज' से वास्तव में प्राप्त आपूर्ति वोल्टेज के स्तर तक 'स्टेप डाउन[18] के प्रत्येक स्तर' के लिए ऊर्जा शुल्क का बिल दिया गया है।

उठाऊ जलापूर्ति योजना गुम्मा (14), गिरी (दो) व अश्विनी खड्ड (दो) के 18 विद्युत मीटरों के संबंध में प्रबंध निदेशक, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, शिमला के कार्यालय के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2020) में उजागर हुआ कि:

(i) दर्ज अधिकतम मांग से अधिक मौजूदा अनुबंध मांग

जून 2018 से मई 2020 की अवधि के दौरान गुम्मा (दो) व अश्विनी खड्ड (दो) में चार मीटरों की 'अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत' स्थापित मीटरों (**परिशिष्ट-6.1**) में अधिकतम दर्ज/ खपत की गई मांग से काफी अधिक था, जिसे **तालिका-6.3.1** में संक्षेप में दर्शाया गया है।

---

15 शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं में लागू मांग शुल्क की दर: जून 2018 से जून 2019 तक ₹ 400 प्रति केवीए/ माह की दर से और 01 जुलाई 2019 से और उसके बाद ₹ 300 प्रति केवीए/ माह की दर से।

16 अनुबंध मांग विद्युत शक्ति की वह मात्रा है जो एक उपभोक्ता एक विशिष्ट अंतराल में उपयोगिता से मांगता है (उपयोग की जाने वाली इकाई केवीए या केडब्ल्यू है) जबकि बिलिंग चक्र पर अधिकतम केवीए आवश्यकता को अधिकतम मांग कहा जाता है।

17 मानक वोल्टेज जिस पर उपभोक्ता को किसी भी कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के भुगतान के बिना एक सामान्य या समर्पित या संयुक्त समर्पित प्रदायक के माध्यम से विद्युत दी जाएगी।

18 उदाहरण के रूप में 'स्टेप डाउन के प्रत्येक स्तर के लिए' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा कि किसी विशेष मामले में यदि मानक आपूर्ति वोल्टेज 33 केवी है और वास्तव में उपलब्ध आपूर्ति वोल्टेज 11 केवी से कम है, तो स्टेप डाउन की संख्या दो होगी और दर लागू कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार का आठ प्रतिशत (पांच प्रतिशत + तीन प्रतिशत) होगा।

तालिका-6.3.1: अनुबंध मांग एवं अधिकतम दर्ज मांग का विवरण

उठाऊ जलापूर्ति योजना इकाई (अवधि)	के. नं./ मीटर नं.	अनुबंध मांग (केवीए)	संविदा मांग का 90 प्रतिशत (केवीए में)	वास्तविक अधिकतम मांग दर्ज की गई (केवीएएच में)	दर्ज की गई मांग के आधार पर संशोधित/ प्रस्तावित अनुबंध मांग (केवीए में)
गुम्मा (जून 2018 से अप्रैल 2020)	1112605289	4557.77	4101.99	525 to 2415.6	1500
	1112605290	5868.61	5281.75	2750 to 3980*	4000
अश्विनी खड्ड (जुलाई 2019 से जुलाई 2020)	12383282	718	646.2	320 to 362.1	400**
	12249906	1470	1323	362.1 to 384.8	400**

स्रोत: शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना।

** अगस्त 2018 से अप्रैल 2020 के दौरान वास्तविक मांग जून व जुलाई 2018 के दौरान अनुबंध मांग से अधिक हो गई थी।*

*** संभावित मीटर रीडिंग ट्रेंड के आधार पर प्रस्तावित।*

इसके अतिरिक्त, विकास पर्यावरण सेवा लिमिटेड द्वारा आयोजित एक ऊर्जा व जल लेखापरीक्षा (2017) में ऊर्जा लागत को कम करने के लिए दर्ज की गई वास्तविक अधिकतम मांग के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अनुबंध मांग को कम करने की अनुशंसा की गई थी। हालांकि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने गुम्मा में मीटरों की अनुबंध मांग को कम करने के लिए जून 2019 में ही हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ मामला उठाया था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को सलाह दी (दिसंबर 2019) कि वह इस मामले को मशोबरा में संबंधित इलेक्ट्रिकल प्रभाग के साथ उठाए। हालांकि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मई 2020 में मशोबरा में विद्युत मंडल को अनुबंध मांग में कमी का प्रस्ताव भेजने में (तकनीकी जनशक्ति की कमी के कारण) पांच माह का समय लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने मई 2020 से मीटर (1112605289: 1500 केवीए व 1112605290: 4000 केवीए) के संबंध में अनुबंध मांग (वास्तविक आवश्यकतानुसार) को संशोधित (जून 2020) किया। अगस्त 2020 में लेखापरीक्षा संवीक्षा ने अश्विनी खड्ड में अन्य मीटर की संविदा मांग में संशोधन न किए जाने को इंगित किया तथापि अश्विनी खड्ड में अनुबंध मांग को सितंबर 2021 तक संशोधित नहीं किया गया था।

इस प्रकार शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने वास्तविक दर्ज की गई मांग के आधार पर अनुबंध मांग में कमी हेतु समय पर कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप जून 2018 से जुलाई 2020 **(परिशिष्ट-6.1)** के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भुगतान किए गए मांग शुल्क के कारण ₹ 3.70 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जैसाकि **तालिका-6.3.2** में संक्षिप्त में दर्शाया गया है।

तालिका-6.3.2: मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

(₹ करोड़ में)

उठाऊ जलापूर्ति योजना इकाई (अवधि)	के.नं./ मीटर संख्या	अवधि	मांग शुल्क की दरें (₹ केवीए/ माह)	मांग शुल्क का भुगतान	देय मांग प्रभार* (परिशिष्ट-6.1)	मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान
गुम्मा	1112605289	जून 2018 से जून 2019	400	2.13	0.78	1.35
		जुलाई 2019 से अप्रैल 2020	300	1.23	0.47	0.76
	1112605290	अगस्त 2018 से जून 2019	400	2.32	1.66	0.66
		जुलाई 2019 से अप्रैल 2020	300	1.58	1.14	0.45
अश्विनी खड्ड	12383282	जुलाई 2019 से जुलाई 2020	300	0.25	0.14	0.11
	12249906	जून 2019 से जुलाई 2020	300	0.52	0.14	0.37
योग				**8.03**	**4.33**	**3.70**

स्रोत: शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना।

**मांग प्रभार वास्तविक दर्ज की गई मांग या संशोधित/ प्रस्तावित संविदा मांग का 90 प्रतिशत पर देय है।*

(ii) अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क का गलत आरोपण

जुलाई 2019 व मई 2020 के दौरान उठाऊ जलापूर्ति योजना गुम्मा में दर्ज की गई वास्तविक अधिकतम मांग 1848 केवीए की अनुबंध मांग के प्रति 1663.2 केवीएएच थी, हालांकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इन दो माह के लिए ₹ 0.23 करोड़ के अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क को गलत तरीके से लगाया था एवं इसका भुगतान शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। यद्यपि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क के गलत अधिरोपण का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ उठाया (अप्रैल 2021), इसे सितंबर 2021 तक समायोजित नहीं किया गया था। मामले को अगस्त 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था जबकि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने अप्रैल 2021 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ मामला उठाया था तथा इस राशि का समायोजन लंबित है।

इस प्रकार शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा संविदा मांग उल्लंघन प्रभारों के गलत अधिरोपण पर समय पर कार्रवाई करने में विफलता के कारण ₹ 0.23 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(iii) विद्युत की शून्य खपत पर मांग शुल्क

उठाऊ जलापूर्ति योजना, गुम्मा के तहत शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड गुम्मा (प्रथम चरण) से ड्राबला (द्वितीय चरण) से क्रेगनानो तक पानी उठाता है। ड्राबला में पंपिंग हेतु विद्युत आपूर्ति मीटर (के.नं.1112605291) में दर्ज की जा रही है।

यह देखा गया कि 66 केवी/ 22 केवी (गोशु गुम्मा स्थित सबस्टेशन) पर ड्राबला पंपिंग स्टेशन पर अतिरिक्त प्रदायक लाईन पर एक अन्य मीटर (के.नं.1112605321) भी स्थापित किया गया था। चूंकि विद्युत आपूर्ति मीटर (के.नं.1112605291) में दर्ज की जा रही थी, जून 2018 से जून 2020 तक अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर (के.नं.1112605321) में विद्युत की खपत शून्य थी, जिसे हटाने करने की आवश्यकता थी एवं अतिरिक्त प्रदायक लाईन की आपूर्ति को ड्राबला में मीटर (के.नं. 1112605291) से जोड़ा जा सकता था।

तथापि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर (के.नं. 1112605321) को हटाने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की थी। जब शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ इस मुद्दे को उठाया (अगस्त 2019), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने सीटी/ पीटी[19] यूनिट प्रदान करने के लिए चार स्तंभ संरचना के निर्माण हेतु ₹ 9.73 लाख की मांग भेजी, जो ड्राबला में प्रदायक लाईन को मीटर (के.नं. 1112605291) के साथ जोड़ेगी। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास ₹9.73 लाख (नवंबर 2019) जमा किए थे। हालांकि, मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने मई 2022 तक अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर को हटाया नहीं था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने ₹ 1.97 करोड़ (मांग शुल्क: ₹ 1.93 करोड़[20] अनुबंध मांग 2819 केवीए के 90 प्रतिशत की दर से एवं देय तिथि तक राशि का भुगतान नहीं करने के लिए अधिभार: ₹ 0.04 करोड़) के मांग शुल्क का दावा करते हुए अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर (के. नं. 1112605321) हेतु सितंबर 2018 से जून 2020 तक बिल जारी किया, हालांकि खपत शून्य थी। जून 2019 तक इस राशि के प्रति ₹ 1.02 करोड़ के मांग शुल्क का भुगतान किया गया एवं ₹ 0.95 करोड़ (मांग शुल्क: ₹ 0.91 करोड़ व नियत तिथि तक राशि का भुगतान नहीं करने के लिए अधिभार, आदि ₹ 0.04 करोड़) अगस्त 2020 तक बकाया थे।

(iv) कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार

'मानक आपूर्ति वोल्टेज'[21] से कम वोल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति का लाभ उठाने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बिल किए गए ऊर्जा शुल्क की राशि पर **तालिका-6.3.3** में

---

19 वर्तमान परिवर्तक/ संभावित परिवर्तक।

20 सितंबर 2018 से जून 2019: 2537.10 केवीएएच X400X10 = ₹ 1,01,48,400 व जुलाई 2019 से जून 2020 = 2537.10 केवीएएच X300X12 = ₹ 91,33,560

21 मानक वोल्टेज जिस पर उपभोक्ता को किसी भी कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के भुगतान के बिना एक सामान्य या समर्पित या संयुक्त समर्पित प्रदायक के माध्यम से बिजली दी जाएगी।

दी गई दरों पर, 'मानक आपूर्ति वोल्टेज' से 'स्टेप डाउन के प्रत्येक स्तर' के लिए वास्तव में प्राप्त आपूर्ति वोल्टेज के स्तर तक कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार प्रभारित करेगा।

तालिका-6.3.3: मानक आपूर्ति वोल्टेज के प्रति कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार की दर

मानक आपूर्ति	वास्तव में प्राप्त आपूर्ति वोल्टेज	कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार (प्रतिशत)
11 केवी या 15 केवी या 22 केवी	10.23 केवी या 30.415 केवी या 2.2 केवी	5
33 केवी	11 केवी या 22 केवी	3
66 केवी	33 केवी	2
>= 132 केवी	66 केवी	2

लेखापरीक्षा ने देखा कि जून 2018 से मार्च 2021 तक छः मीटर (गुम्मा: 04 व गिरी: 02) पर तीन प्रतिशत या आठ प्रतिशत की दर से कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार लगाया गया था (वास्तविक उपयोग वोल्टेज मानक आपूर्ति वोल्टेज के स्तर से दो स्तर नीचे होने के मामले में) जैसाकि **तालिका-6.3.4** में विवर्णित है।

तालिका-6.3.4: कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार का विवरण

क्र. सं.	मीटर नं. (के. नं.)	कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार	संयोजित भार (के डब्ल्यू)*	मानक वोल्टेज आपूर्ति	वास्तविक वोल्टेज प्राप्ति	कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार की दर (प्रतिशत)	कम वोल्टेज आपूर्ति अधिरोपित अधिभार (₹ करोड़ में)
1.	1112605289	गुम्मा	4102.00	33 केवी	15 केवी	3	0.06
2.	1112605290	गुम्मा	5281.70	33 केवी	2.2 केवी	8	1.69
3.	1112605291	गुम्मा	2819.67	33 केवी	2.2 केवी	8	1.38
4.	1112605293	गुम्मा	3319.12	33 केवी	2.2 केवी	8	0.74
5.	एचपीयू 00318	गिरी	2425.00	33 केवी	11 केवी	3	0.64
6.	एचपीयू 00204	गिरी	2816.00	33 केवी	11 केवी	3	0.63
कुल							**5.14**

स्रोत: शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा आपूरित सूचना।

** मानक आपूर्ति वोल्टेज: <=50 केडब्ल्यू-2.2 केवी या 400 वोल्ट; 51 केडब्ल्यू से 2000 केडब्ल्यू - 6.6 केवी, 11 केवी, 15 केवी या 22 केवी तक; 2001 केडब्ल्यू से 10000 केडब्ल्यू तक - 33 केवी या 66 केवी व >10000 केडब्ल्यू - >=132 केवी।*

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मानक आपूर्ति वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति का लाभ उठाया जिसके परिणामस्वरूप जून 2018 से मार्च 2021 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को वास्तव में भुगतान किए गए कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के कारण ₹ 5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ **(परिशिष्ट-6.2)**।

जुलाई 2020 में शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड डिवीजन-ठियोग के कार्यकारी अभियंता से मीटर संख्या एचपीयू 00318 व एचपीयू 00204 के संबंध में कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार एवं उल्लंघन शुल्क माफ करने का अनुरोध किया परन्तु फरवरी 2021 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

स्पष्ट है, उक्त राज्य वित्तीय नियमों के प्रावधान के विपरीत शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड का प्रबंधन अपने उठाऊ जलापूर्ति योजना की ऊर्जा लागत के संबंध में कठोर मितव्ययता को लागू करने में विफल रहा।

- शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने ऊर्जा मीटरों में वास्तविक अधिकतम दर्ज की गई मांग के अनुसार अनुबंध मांग के संशोधन के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.70 करोड़ के मांग शुल्क का परिहार्य व्यय/ देयता हुई।
- अनुबंध मांग प्रभार गलत अधिरोपित करने के कारण शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को ₹ 0.23 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।
- शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर की स्थापना रद्द करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की जिसके कारण शून्य खपत के बाद भी ₹ 1.97 करोड़ के मांग शुल्क की देयता बनी।
- शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मानक आपूर्ति वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के कारण ₹ 5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रधान सचिव (शहरी विकास) ने बताया (सितम्बर 2021) कि तकनीकी जनशक्ति की कमी एवं विकास पर्यावरण सेवा लिमिटेड रिपोर्ट की समुचित जांच एक समय लेने वाली प्रक्रिया होने के कारण अनुबंध मांग में कमी हेतु समय पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क के संबंध में अनुबंध मांग के सुधार के लिए मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ उठाया गया है। कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के मामले में प्रबंध निदेशक, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने बताया (फरवरी 2021) कि मुद्दों का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ पत्राचार किया गया था। तथापि तथ्य यह है कि ऊर्जा मीटरों के वास्तविक प्राप्त वोल्टेज के अनुसार मानक आपूर्ति वोल्टेज में संशोधन न करने के कारण शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार का परिहार्य भुगतान वहन करना पड़ा।

सिफारिश: सरकार वास्तविक अधिकतम दर्ज की गई मांग के अनुसार शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की उठाऊ जल आपूर्ति योजनाओं के ऊर्जा मीटरों की अनुबंध मांग के युक्तिकरण/ संशोधन में तेजी लाने पर विचार करें, ताकि ऊर्जा लागत को कम किया जा सके तथा शिमला

जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की उठाऊ जल आपूर्ति योजनाओं हेतु निर्धारित मानक आपूर्ति वोल्टेज पर आपूर्ति का लाभ उठाएं ताकि कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के भुगतान की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

(चंदा मधुकर पंडित)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 03 दिसम्बर 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 13 दिसम्बर 2022